



न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 23/2024 बउनवानी रामनिवास बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र हीरालाल मीना निवासी उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर GCMS No-2024/63

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.6.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.3.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आदेश क्रमांक एलआर/24/325 तहसीलदार द्वारा उलियाना में झुझार के मंदिर से धनावतो ढाणी में अतिक्रमण से पूर्व की गयी सर्वे, अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को दिये गये नोटिस, सीमाज्ञान, इत्यादि की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करवायी जावे। <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:आरटीआई/2024/332 दिनांक 5.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2024 में (उलियाना में झुझार के मंदिर से धनावतो ढाणी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से संबंधित) चाही गयी सूचना (कुल 5 पृष्ठों की) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 196 दिनांक 30.4.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.3.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना (उलियाना में झुझार के मंदिर से धनावतो ढाणी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से संबंधित कुल 5 पृष्ठों) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 196 दिनांक 30.4.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   (डॉ० सुभाष यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </div>